

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 29.06.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 201/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को 03 अवैध तमंचे व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त 1. सुशील सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. अभय सिंह उर्फ टिकू पुत्र शिवपाल सिंह 3. सतेन्द्र सिंह उर्फ शिबू पुत्र रामशंकर सिंह निवासी गण ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सुशील सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. अभय सिंह उर्फ टिकू पुत्र शिवपाल सिंह निवासी ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. सतेन्द्र सिंह उर्फ शिबू पुत्र रामशंकर सिंह निवासी ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 25.06.2026 को वादी उ0नि0 श्री उदयपाल सिंह की तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 BNS व 7 सीएलए एकट बनाम सुशील सिंह आदि 09 पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर फायरिंग करने वाले 03 अभियुक्त 1. सुशील सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 2. अभय सिंह उर्फ टिकू पुत्र शिवपाल सिंह 3. सतेन्द्र सिंह उर्फ शिबू पुत्र रामशंकर सिंह निवासी गण ग्राम खिरिया मुकुन्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचे व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एकट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछने पर अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के दौरान फायरिंग करने की बात स्वीकार करते हेतु अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01. 03 तमंचे

02. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त सुशील सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 201/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 BNS व 7 सीएलए एकट व 3/25 आर्म्स एकट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अभय सिंह उर्फ टिकू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 201/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 BNS व 7 सीएलए एकट व 3/25 आर्म्स एकट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

2. मु0अ0सं0 304/23 धारा 323/452/504/506 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त सतेन्द्र सिंह उर्फ शिबू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 201/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/109 BNS व 7 सीएलए एकट व 3/25 आर्म्स एकट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

2. मु0अ0सं0 304/23 धारा 323/452/504/506 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी 3. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार

2. उ0नि0 श्री लछिमन सिंह 4. का0 भूपेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।